संख्या- 3 /2020/ 139 /छिहत्तर-1-2020-8 बजट/2018 टी0सी0-V

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 20 जनवरी, 2020

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-20 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विभिन्न मदों में धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-83)

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अपने पत्र संख्या-1474/डब्लू-409(JE/AES)/ 2019-20, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 एवं अनु सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति आदेश संख्या- डब्लू क्यू- 11044/1/2019- डब्लू क्यू/342, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त कुल केन्द्रांश की धनराशि ₹ 2161.89 लाख के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राप्त केन्द्रांश में से अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुमन्य केन्द्राशं की धनराशि ₹ 496.71 लाख (₹ चार करोड़ छानबे लाख इकहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरण/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

घटक	फण्डिग पैटर्न	अनुदान संख्या	पेयजल कार्यक्रम के घटक/ कैटेगरी	भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश	स्वीकृत धनराशि
JE/ AES	50:50	83	SCC	496.71	496.71
				Total	496.71

(₹ चार करोड़ छानबे लाख इकहत्तर हजार मात्र)

(I) धनराशि का व्यय जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) स्वीकृत की गयी धनराशि को पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(III) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(IV) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किये जाने वाला व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(V) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर योजनान्तर्गत निर्धारित खाते में जमा की जायेगी और यदि इस धनराशि पर कोई व्याज अर्जित होता है उसे निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(VI) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया / व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(VII) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अधीन तथा केन्द्रांश स्वीकृत विषयक भारत सरकार के आदेश संख्या- डब्लू-क्यू/11044/1/2019/डब्लू. क्यू./342 दिनांक 26 दिसम्बर 2019 निर्दिष्ट निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा तथा किसी अन्य योजना में द्विरावृत्ति न हो।

(VIII) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(IX) प्रश्नगत कम्पोनेन्ट में पूर्व अवमुक्त / स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन / भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

ओम

(X) उक्त वित्तीय स्वीकृति पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति आदेशों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1/2019 /बी-1-170/दस-2019-231/ 2019 दिनांक 22-03-2019 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(XI) धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(XII) उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रोग्राम फण्ड/ सपोर्ट फण्ड में जमा की जायेगी एवं यथावश्यकता सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जायेगी।

(XIII) शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई विसंगति हो तो शासन को तत्काल सूचित किया जाएगा।

(XIV) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/ भारत सरकार तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0101-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0 डी0डब्लू0पी0) (के050/रा050-के0+रा0)-24- बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-1/2019 /बी-1-170/दस-2019-231/ 2019 दिनांक 22-03-2019 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्याः 3 /2020/ 139 (1)/ छिहत्तर-1-2020-8 बजट/2018 टी0सी0-V, तददिनांक। o/c

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अनु सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, चौथा तल, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, पं0 दीन दयाल अन्त्योदय भवन, नई दिल्ली, को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 के क्रम में।
(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश।
(3) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) नियोजन अनुभाग-4 ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2 ।
(9) विशेष कार्याधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10)गार्ड बुक।

18-01-2020
18/1/2020

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

o/c